

कार्यालय जिला पंचायत जशपुर (छ0ग0)


// प्रेस विज्ञप्ति //

क्रमांक / 2462 / जि.पं. / स्था. / संविदा भर्ती / 2016

जशपुर, दिनांक 24/12/2016

पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2151/जि.पं./स्था./ संविदा भर्ती/ 2016 जशपुर दिनांक 24.11.2016 द्वारा इस जिले के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र (BPRC) भवन जिला जशपुर छ0ग0 हेतु स्वीकृत संकाय सदस्य के रिक्त पदों की संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। किन्तु वांछित योग्यता वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिलने के कारण पुनः पूर्व जारी विज्ञापन को निरस्त करते हुए निर्धारित अर्हता/योग्यता धारकों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। निर्धारित अर्हता/योग्यता धारक अभ्यर्थी आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति सहित पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं।

इन विज्ञापित पदों के लिये अर्हताधारी इच्छुक उम्मीदवार के द्वारा आवेदन पत्र में एवं लिफाफे के ऊपर आवेदित पद के नाम के साथ उप संचालक पंचायत, जिला जशपुर छ0ग0 उल्लेख करना अनिवार्य होगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवेदक के द्वारा किस पद हेतु आवेदन किया गया है अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। जिसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत जशपुर (छ0ग0)

कार्यालय जिला पंचायत जशपुर (छ0ग0)

// विज्ञापन //

क्रमांक / 2463 / जि.पं. / स्था. / संविदा भर्ती / 2016

जशपुर, दिनांक 24/12/2016

छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर का आदेश क्रमांक/995/आर70/मुपंसयो/22-1/2016 नया रायपुर, दिनांक 21.07.2016 के द्वारा इस जिले में मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजनांतर्गत जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र (BPRC) भवन हेतु स्वीकृत पदों पर संविदा नियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु निर्धारित योग्यता धारकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। योग्यता धारक अभ्यर्थी दिनांक 05/01/17 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालयीन समय तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम एवं शर्तें जिला पंचायत जशपुर की सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट www.jashpur.nic.in में देख सकते हैं। पदों का विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-

जनपद स्तर के पद

| क्र | पद का नाम | (अ) कुल पद श्रेणीवार | | | | | (ब) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की संख्या 30 प्रति | | | | | (स) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग वर्ग के लिये आरक्षित पदों की संख्या 6 प्रति | | | | | (द) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पदों की संख्या 10 प्रति. | | | | | (उ) कॉलम (अ) में रिक्त पदों में से विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिये आरक्षित पदों की संख्या 20 प्रति. | | (इ) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिये आरक्षित पदों की संख्या | | | | |
|-----|-------------|----------------------|----|----|-----|-------|--|----|----|-----|-------|--|----|----|-----|-------|--|----|----|-----|-------|--|-------|--|----|----|-----|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | UR | SC | ST | OBC | Total | UR | SC | ST | OBC | Total | UR | SC | ST | OBC | Total | UR | SC | ST | OBC | Total | PTG | Total | UR | SC | ST | OBC | Total |
| 1 | संकाय सदस्य | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

टीप :- UR- अनारक्षित, SC- अनुसूचित जाति, ST- अनुसूचित जनजाति, OBC- अन्य पिछड़ा वर्ग

पद का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता/अर्हताएं

| क्र० | पद का नाम | रिक्त पद की संख्या | वेतन प्रतिमाह | अनिवार्य अर्हता | वांछित योग्यता |
|------|-------------|--------------------|------------------------------|---|--|
| 1 | संकाय सदस्य | 08 | 20342/- संविदा एकमुश्त | 1. स्नातकोत्तर/बी.ई में 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण 2. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्य क्रमांक में प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यो अथवा प्रबंधकीय कार्यो का कम से कम एक वर्ष का अनुभव। | अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय कान्फेंस अथवा जर्नल में शोध पत्र |

नियम व शर्तें :-

1. आवेदक को आवेदित पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य योग्यताएं आवेदन तिथि के पूर्व पूर्ण करना आवश्यक होगा।
2. छ०ग० शासन से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से जारी अर्हता प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
3. कॉलम 04 में दर्शित एक मुश्त संविदा राशि के अतिरिक्त कोई भत्ता/राशि देय नहीं होगी।
4. छ०ग० शासन के निर्देशानुसार विकलांग, महिला एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये उक्त रिक्त पदों में समस्त आरक्षण दिया जावेगा। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उसी वर्ग के अभ्यर्थी से पद पूर्ति की जावेगी।
5. आवेदन बंद लिफाफे में कार्यालय उप संचालक पंचायत, जिला जशपुर छ०ग० को प्रेषित करते हुए केवल स्पीड पोस्ट एवं पंजीकृत डाक से दिनांक.....को कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक स्वीकार किया जावेगा।
6. लिफाफे नी आवेदित पद का नाम एवं वर्ग आवश्यक रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जावेंगे। आवेदन पत्र के साथ एक लिफाफा 5 रूपये का टिकट संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेज स्वप्रमाणित होना चाहिये अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
8. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये किया जावेगा, आवश्यकतानुसार सेवा विस्तार किया जा सकता है।
9. नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई (संविदा) होगी एवं बिना कारण बताये सेवा समाप्त की जा सकती है।
10. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
11. सेवा निवृत्त शासकीय सेवक की संविदा के दौरान उसे अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ-साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा।
12. संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश लागू होंगे।
13. आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2016 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष, आरक्षित वर्ग के लिये 35 वर्ष परंतु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधित आदेश-निर्देश लागू होंगे।
14. आरक्षित वर्ग के पद हेतु उम्मीदवारों का सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
16. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
17. आवेदकों द्वारा प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
18. भर्ती के संबंध में संभागीय आयुक्त अपीलीय अधिकारी होंगे।
19. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं आवेदक हस्ताक्षर विहीन आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
20. विस्तृत नियम शर्तों एवं आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत जशपुर की सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट www.jashpur.nic.in पर देखा जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत जशपुर (छ0ग0)

